लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1444
उत्तर देने की तारीख : 26.07.2022

सामाजिक न्याय के अंतर्गत अधिनियम

1444. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्रीमती अपरूपा पोद्दार:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री रमेश बिन्द:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास सामाजिक न्याय से संबंधित हाल ही में क्रियान्वित किए गए अधिनियमों की निगरानी के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इन अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे और अधिकारियों की कोई आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए राज्यों को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई है; और
(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (घ): जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निम्नलिखित अधिनियम कार्यान्वित करता हैः-

1. अस्पृश्यता के उन्मूलन और इस प्रथा को किसी भी रूप में निषिद्ध करने के लिए संसद का एक अधिनियम नामतः सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 प्रवृत्त है।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम करने तथा उनके निवारण के लिए संसद का एक अन्य अधिनियम नामतः

"अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" प्रवृत्त है।

3. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम।
4. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
5. उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

<u>पीसीआर एवं पीओए अधिनियम</u>

अस्पृश्यता के उन्मूलन और इस प्रथा को किसी भी रूप में निषिद्ध करने के लिए संसद का एक अधिनियम नामतः सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 प्रवृत्त है।

इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम करने तथा उनके निवारण के लिए संसद का एक अन्य अधिनियम नामतः "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" प्रवृत्त है।

अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिविल अधिकार संरक्षण नियमावली, 1977 और एससी/एसटी (पीओए) नियमवाली, 1995 भी बनाई गई है।

चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची-II) के अंतर्गत 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। पीसीआर अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का है।

तथापि, भारत सरकार ने शिकायत दर्ज कराने तथा विभिन्न स्तरों पर इन शिकायतों के समाधान हेतु अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एससी तथा एसटी के विरुद्ध उत्पीड़न के संबंध में राष्ट्रीय हेल्पलाइन की स्थापना की है। सरकार इन अधिनियमों के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय समीक्षा भी करती है जिसमें समय पर आपराधिक कार्रवाई एवं मुआवजे का भुगतान करना शामिल है। भारत सरकार अपने स्तर पर पीओए अधिनियम और इसके तहत बनाई गई नियमावली के अक्षरशः प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, समय-समय पर, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शिकाएं जारी करती है।

पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम भी प्रवृत्त है, जिसके अंतर्गत अधिनियमों तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय सहायता मुख्यतः निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाती हैः-

i. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ तथा विशेष पुलिस थानों का संचालन और सुदृढीकरण।
ii. अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना और संचालन।
iii. अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास।
iv. अंतरजातीय विवाह, जिसमें दंपति में से कोई एक सदस्य अनुसूचित जाति का हो, के लिए प्रोत्साहन।
v. जागरूकता निर्माण।

स्कीम का वित्त-पोषण पैटर्न इस प्रकार का है कि समिति की प्रतिबद्धता से अधिक कुल व्यय को केंद्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के मध्य 50:50 के अनुपात के आधार पर आपस में बांटा जाता है तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है।

<u>राज्य स्तर पर निगरानी तंत्र</u>

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावाली, 1955 के नियम 16, नियम 17 और 17क में पीओए अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों (एसएलवीएमसी) की स्थापना, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों (डीएलवीएमसी) और उपमंडल स्तर के मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की स्थापना का प्रावधान है।

<u>केंद्रीय स्तर पर निगरानी तंत्र</u>

- केंद्रीय स्तर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। अब तक इस संबंध में समिति की 26 बैठकें हुई हैं।
- माननीय केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री स्कीमों की प्रगति के आंकलन के लिए समीक्षा बैठकों हेतु राज्यों का दौरा करते हैं।
- केंद्रीय सरकार के अधिकारी स्कीमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा के लिए राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं।

<u>माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के आवश्यकता आधारित भरण-पोषण तथा कल्याण</u> को सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर 2007 में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में प्रवृत्त है और अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। राज्य

सरकारों ने अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरणों का गठन किया है और न्यायाधिकरणों के लिए सुलह अधिकारी, रख-रखाव अधिकारी और पीठासीन अधिकारी पदनामित किए हैं। विभिन्न जिलों में निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम बनाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा देखभाल के प्रावधान शामिल किए गए हैं। केंद्रीय सरकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की मांग करती है।

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय निगरानी समिति, राज्य स्तरीय निगरानी समितियों और जिले तथा उपमंडल स्तर पर सतर्कता समितियों के माध्यम से निगरानी तंत्र का प्रावधान है। इसके अलावा, आवधिक रिपोर्टों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित बैठकों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में, समय-समय, पर केंद्रीय निगरानी समिति की बैठकों के माध्यम से भी कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा एमएस अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के लिए निधियां आवश्यक नहीं हैं।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 दिनांक 10 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त हुआ। उक्त अधिनियम की धारा 17(ख) के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समानता और पूर्ण-भागीदारी प्राप्त करने के लिए तैयार की गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावों की निगरानी और मूल्यांकन राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद (एनसीटीपी) द्वारा की जाएगी। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए वर्तमान अवसंरचना और संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। "लाभवंचित व्यक्तियों और आजीविका उद्यम हेतु सहायता (स्माइल)" की केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के उप-घटक के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 25 करोड़ रूपए की राशि निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम की उप-स्कीम गरिमा गृहों, ट्रांसजेंडर प्रकोष्ठ आदि की स्थापना के लिए निधियां जारी की जाती है।

उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत पिछले 03 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों को राज्य-वार जारी निधियों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 26.07.2022 के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1444 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

1. पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई केंद्रीय सहायता।

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
1.	आंध्र प्रदेश	4814.34	3429.99	920.00
2.	असम	0.00	15.00	10.00
3.	बिहार	1220.00	1505.00	3500.00
4.	छतीसगढ	1696.40	2159.19	1983.91
5.	चंडीगढ़	75.00	50.00	71.00
6.	दिल्ली	16.00	25.00	7.45
7.	गोवा	4.00	3.00	3.00
8.	गुजरात	3981.16	3314.16	1978.63
9.	हरियाणा	1214.61	1360.00	1821.20
10.	हिमाचल प्रदेश	477.00	382.75	314.96
11.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	93.20
12.	झारखंड	266.00	28.83	319.33
13.	कर्नाटक	6867.25	6542.75	6185.26
14.	केरल	2746.07	1099.15	1763.52
15.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	12.00
16.	मध्य प्रदेश	7900.33	8349.19	10341.53
17.	महाराष्ट्र	6194.75	5813.52	773.00
18.	ओड़िशा	3206.31	3508.79	4408.71
19.	पुदुचेरी	209.00	787.55	365.63
20.	पंजाब	0.00	18.66	780.49
21.	राजस्थान	2048.33	4770.06	7163.45
22.	सिक्किम	25.00	0.00	0.83
23.	तमिलनाडु	1833.05	3852.48	3544.94
24.	तेलंगाना	1993.88	819.20	1717.92
25.	त्रिपुरा	39.14	0.00	20.33
26.	उत्तराखंड	102.87	94.82	78.30
27.	उत्तर प्रदेश	14136.04	11302.62	12671.72
28.	पश्चिम बंगाल	897.61	37.41	87.00
29.	अन्य (योजना प्रभाग)	0.00	3.89	0.00
30.	एनएचए	0.00	69.97	73.78
	कुल	**61964.14**	**59342.98**	**61011.09**

2. एसएपीएसआरसी के अंतर्गत विगत 03 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

रूपए करोड़ में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधियां 2019-20	जारी निधियां 2020-21	जारी निधियां 2021-22
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.375	0.0	0.0
2.	आंध्र प्रदेश	1.000	0.0	0.0
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.375	0.0	0.0
4.	असम	0.750	0.0	0.22
5.	बिहार	1.500	0.0	0.0
6.	चंडीगढ़	0.375	0.0	0.0
7.	छतीसगढ	0.750	0.0	0.0
8.	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	0.75	0.0	0.0
9.	गोवा	0.500	0.0	0.0
10.	गुजरात	0.750	0.0	0.0
11.	हरियाणा	0.750	0.0	0.0
12.	हिमाचल प्रदेश	0.750	0.0	0.0
13.	जम्मू और कश्मीर	0.750	0.0	0.0
14.	झारखंड	0.750	0.0	0.0
15.	कर्नाटक	1.500	0.0	0.0
16.	केरल	0.750	0.0	0.0
17.	लक्षद्वीप	0.375	0.0	0.0
18.	मध्य प्रदेश	1.500	0.0	0.0
19.	महाराष्ट्र	1.500	0.0	0.0
20.	मणिपुर	0.375	0.0	0.0
21.	मेघालय	0.375	0.0	0.0
22.	मिजोरम	0.500	3.04	0.0
23.	नागालैंड	0.375	0.0	1.98
24.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.750	0.0	0.0
25.	ओड़िशा	1.000	0.0	0.0
26.	पुदुचेरी	0.375	0.0	0.0
27.	पंजाब	0.750	0.0	0.0
28.	राजस्थान	1.500	0.0	0.0
29.	सिक्किम	0.500	0.0	0.16
30.	तमिलनाडु	1.500	0.0	0.0
31.	तेलंगाना	1.000	4.02	0.0
32.	त्रिपुरा	0.500	0.0	0.0
33.	उत्तर प्रदेश	1.500	0.0	0.0
34.	उत्तराखंड	0.750	0.19	0.0
35.	पश्चिम बंगाल	1.500	0.0	0.0
	कुल	**29.00**	**7.25**	**2.36**

3. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान "लाभवंचित व्यक्तियों और आजीविका उद्यम के लिए सहायता (स्माईल)" की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के उप-घटक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य के नाम	जारी निधियां (रूपए लाख में)
1.	बिहार	14.586
2.	दिल्ली	14.586
3.	छत्तीसगढ़	14.586
4.	गुजरात	14.586
5.	महाराष्ट्र	14.586
6.	ओडिशा	14.586
7.	राजस्थान	14.586
8.	तमिलनाडु	14.586
9.	पश्चिम बंगाल	14.586
	कुल	131.274

******